महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2025 / 5252-65 दिनांक : 16.01.2025

अति आवश्यक

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध–राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान दिवस (26–11–2024) के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष–पर्यंत विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक : 500 / 90–सं–2–2024, दिनांक : 18 दिसम्बर, 2024 के साथ संलग्न भारत सरकार के अर्धशा0 पत्र संख्या–21035 / 3 / 2020–Spl.Cell दिनांक 20–11–2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–03 भा0स0 / 90 / सं0–2–2024 दिनांक 22–11–2024 (छायाप्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष–पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः कृपया उक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त निदेशक / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप कुलसचिव (प्रशासन / सम्बद्धता)
10. उप कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)
11. निजी सचिव–कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाइट।
13. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव।

कुलसचिव

DR-1674
13/01/25

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"
अति महत्वपूर्ण
संख्या- 500 /90-सं-2-2024

प्रेषक,

जे०पी० सिंह-II
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक: 18 दिसम्बर, 2024

विषय:- स्वतंत्रता के अमृत काल में संविधान दिवस (26-11-2024) के उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.Cell दिनांक 20-11-2024 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03 भा०स०/90/सं०-2-2024 दिनांक 22-11-2024 (छायाप्रतियां संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता के अमृत काल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं ,जिसमें मुख्य कार्यक्रमों का निम्नवत उल्लेख है:-

(क) 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14-04-2025 से 28-04-2025 तक)

(i) प्रदेश की सभी पंचायतों में "संविधान स्वाभिमान यात्रा" का आयोजन MyBharat volunteers द्वारा बाबा साहब डा० बी०आर० आंबेडकर के संविधान का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित पंचायत द्वारा इसका आयोजन किया जायेगा। उक्त यात्रा का आयोजन प्रत्येक पंचायत में गांव के एससी / एसटी बाहुल्य क्षेत्रों एवं पंचायत के मुख्य ग्राम में किया जायेगा।

(ii) "संविधान स्वाभिमान यात्रा" के दौरान जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा उपलब्धहो, वहाँ उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की जाय।

(ख) निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार वर्ष-पर्यन्त कार्यक्रम का आयोजन :

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।

(ii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में संविधान के अनुच्छेद 51क के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पाठन एवं उसकी व्याख्या की जाय। जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय।

(iii) संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

(iv) स्थानीय स्कूलों/कॉलेजों में संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य/राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय।

(v) स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुददे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद /सेमिनार का आयोजन किया जाय।

(vi) https://www.mygov.in पर स्कूली बच्चों को MyGov competitions के माध्यम से प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

(vii) सभी पंचायतों/ स्कूलों में स्थानीय भाषा में संविधान की प्रस्तावना की वॉल पेंटिंग की जाय।

(viii) संविधान सभा की डिबेट्स के अनुवाद पर विशेष मीडिया कवरेज की जाय तथा अनुवादित सामग्री की उपलब्धता राज्य के पुस्तकालयों में संरक्षित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार एवं मुख्य सचिव महोदय के उक्त संदर्भगत पत्रों में दिए गए दिशा-निर्देशों के आलोक में कृपया दिनांक 14-04-2025 से दिनांक 28-04-2025 तक प्रदेश के समस्त जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के टैग लाईन वाले पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस0सी0/ एस0टी0 बाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोवर स्थलों पर बाबा साहेब बी0आर0 आंबेडकर की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में उनका बड़ा चित्र लगाकर उसपर माल्यार्पण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। इस पखवाड़े में प्रत्येक गैर सरकारी अथवा सरकारी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।

3- यह भी अवगत कराना है कि संविधान दिवस के स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त यथा- दिनांक 26 जनवरी, 2025, 15 अगस्त, 2025 एवं 02 अक्टूबर, 2025 जैसी विशिष्ट तिथियों पर पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा- ध्वजारोहण / प्रार्थना सभा आदि के पश्चात प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों(चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) एवं समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में आने वाली घटनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए संविधान निर्माण में विधि-वेत्ताओं तथा मनीषियों की भूमिका, संविधान के अनुच्छेदों, भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त के समायोजन, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता तथा संविधान में हुए अद्यतन संशोधनों के आलोक में व्यापक चर्चा, व्याख्यानमाला तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाय ।

4- अत: अनुरोध है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराकर एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम की रूपरेखा संसदीय कार्य विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह-II)

प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/90-सं-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।

3- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

4- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

5- प्रमुख सचिव , न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

6- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

7- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।

8- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गौरव कुमार)
विशेष सचिव।

प्र०सि०, संसदीय कार्य/न्याय/PS

20/11/2024
(रवीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर,

No. 37257/MS/SECY GI/2024

Umang Narula
Secretary
Ministry of Parliamentary Affairs

Meeta Rajivlochan
Secretary
Department of Youth Affairs

Amit Yadav
Secretary
Department of Social Justice and Empowerment

Rajiv Mani
Secretary
Department of Legal Affairs

Arunish Chawla
Secretary
Ministry of Culture

D.O. No. 21035/3/2020-Spl. Cell **November 20, 2024**

Dear Chief Secretary,

As you are aware, on 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect on 26th January 1950, thereby marking the beginning of a new era in the history of India. This day holds immense significance as it marks the enactment of the world's longest written Constitution and its subsequent journey represents the triumph of democracy. Since its inception, the Constitution has been successfully guiding the social and economic development of India.

2. To mark the significance of completion of 75 years of adoption of Constitution, it has been decided to celebrate this event. The commemoration shall begin on 26th November 2024 which is celebrated as the **Constitution Day (*Samvidhan Diwas*)**. The year-long celebration will be implemented under the campaign tagline ***"Hamara Samvidhan, Hamara Swabhimaan"***.

3. The 75th anniversary of the adoption of the Constitution is a befitting occasion to honour and acknowledge the contribution of the founding fathers of our Constitution. The commemoration events of the 75th anniversary aim to reiterate the core values enshrined in the Constitution of India and motivate the citizens to take their rightful role in strengthening of democracy. Further, the event shall aim to create awareness of the efforts made towards the making of our Constitution and its important provisions.

4. The commemoration celebrations will be year-long and the activities would be centred around the following four pillars:

a. **Preamble of the Constitution**
b. **Know Your Constitution**
c. **Making of the Constitution**
d. **Celebrating the Glory of the Constitution.**

5. In the above context, the activities to be carried out centered on these themes are outlined as under:

A. **<u>To facilitate online participation in the activities throughout the year, the following interlinked campaign websites have been created:</u>**

i. ***constitution75.com***: This website will be hosting various activities like Mass Preamble Readings, screening of a film on the Constitution, exhibition on art of the Constitution and others which are described in para B and C below. Photos and videos of these activities can be uploaded on this website.

ii. ***https://mybharat.gov.in/mega_events/constitution-day-samvidhaan-diwas-hamara-samvidhaan-hamara-abhimaan***: This is a website for youth engagement that would host various volunteering activities related to the Constitution, to performing of Fundamental Duties and others. Photos and videos of participation can be uploaded for all on this website as well.

iii. ***https://www.mygov.in***: Through this website, the citizens, school children, college students and youth, may be encouraged to participate in various digital outreach activities like essays, quiz, poster contests, etc., on topics related to the Constitution of India.

B. Participation in 26th November Program:

i. Main program led by the Governor/Lieutenant Governor/Chief Minister, with a preamble reading by all Ministers, MLAs, and other dignitaries present.
ii. Programme to be held in a public place with large gathering.
iii. Mass Preamble Readings in Panchayats, Amrit Sarovar sites in rural areas and uploading of Pictures on the website ***constitution75.com*** Upon, uploading the pictures of the reading of preamble, a certificate will be generated through the website and the same may be shared on social media platforms by the public.
iv. Screening of a film on Constitution prepared by M/o Culture to be part of the M2M (minute-to-minute) of the main programme.
v. Special spotlight on persons connected with the making of the Constitution from the State concerned in the main M2M programme.
vi. Exhibition on Art of the Constitution as showcased on the website ***constitution75.com***.

C. Participation in the 15 days programme (14/04/2025 to 28/04/2025):

i. Panchayats to organize and take out *Samvidhan Swabhimaan Yatras* through MyBharat volunteers to propagate the contribution of **Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar**. The Yatras must be organized in villages with high density of SC/ST populations and main villages in every panchayat.
ii. During the yatras, floral tribute will be offe ed to the Statues of Baba Saheb wherever present.

Contd.../3

D. Year-long activities may be carried out as under:

i. The 75th Year of adoption of the Constitution of India, to be emphasized for the ensuing Republic Day celebrations across different parts of the State.

ii. Organize Gram Sabhas in Gram Panchayats wherein the fundamental duties of citizens under Article 51A of the Constitution will be read out and explained. Surviving Freedom fighters to be felicitated.

iii. Special Celebrations in villages connected to Members of the Constituent Assembly with emphasis on contribution of women members of the Constituent Assembly.

iv. Quiz may be organized on the provision of the Constitution, process involved in the making of the Constitution, Fundamental Rights/ Duties/ Directive Principles of State including recent amendments, etc., in local schools and colleges.

v. Schools and colleges shall organize debates/ seminars on rights and duties of citizens and other constitutional issues with special focus on the themes like social empowerment, women empowerment, promoting gender equality, resilience of the Constitution to meet the challenges over a period of time and the major amendments undertaken with focus on latest Amendments.

vi. The school children to be encouraged to participate in MyGov competitions on **https://www.mygov.in** and in youth engagement activities on **Mybharat.gov.in.**

vii. Wall paintings of the Preamble in every Panchayat/ School in local language.

viii. Special Media coverage on translation of Constituent Assembly debates and to ensure availability of translated content in State Libraries.

E. The approved campaign logo will be provided under the download section in the campaign website and the same may kindly be used in the branding of programs and activities. It is also to inform that a dedicated campaign site has been prepared and all the branding materials will be made available on this website. Further, people may be encouraged to participate in the campaign and they can upload their selfie on the website **constitution75.com.**

6. In light of the above, it is kindly requested that necessary action may be taken to implement the activities to make this commemoration event successful with greater public participation and outreach on the anniversary of 75 years of adoption of the Constitution.

Contd ./4

7. State-wise nodal officers may be appointed and their details be communicated to Ministry of Culture for monitoring the implementation of commemorative activities. Any further instructions and directions in this regard will be intimated in due course.

With Regards.

(Umang Narula)
Secretary
Ministry of Parliamentary Affairs

Meeta
(Meeta Rajivlochan)
Secretary
Department of Youth Affairs

(Amit Yadav)
Secretary
Department of Social Justice and Empowerment

(Rajiv Mani)
Secretary
Department of Legal Affairs

(Arunish Chawla)
Secretary
Ministry of Culture

To,

Chief Secretaries of all States/ UTs

Commemoration of 75 Years of adoption of the Constitution of India

From : Arunish Chawla <secy-culture@nic.in> Wed, Nov 20, 2024 06:01 PM

Subject : Commemoration of 75 Years of adoption of the Constitution of India 1 attachment

To : Neerabh Kumar Prasad, IAS <cs@ap.gov.in>, Manish Kumar Gupta <cs-arunachal@nic.in>, Dr. Ravi Kota <cs-assam@nic.in>, Chief Secretary, Bihar <cs-bihar@nic.in>, Chief Secretary Office Chhattisgarh <csoffice.cg@gov.in>, Dr. V Candavelou IAS <cs-goa@nic.in>, csguj@gujarat.gov.in, Dr. Vivek Joshi <cs@hry.nic.in>, Prabodh Saxena <cs-hp@nic.in>, Alka Tiwari <cs-jharkhand@nic.in>, cs@karnataka.gov.in, Smt. SARADA MURALEEDHARAN IAS <chiefsecy@kerala.gov.in>, Anurag jain <cs@mp.nic.in>, chiefsecy@maharashtra.gov.in, cs-manipur <cs-manipur@nic.in>, cs-mizoram <cs-mizoram@nic.in>, Jan e Alam, Chief Secretary Nagaland <csngl@nic.in>, Shri Manoj Ahuja <csori@nic.in>, Chief Secretary Punjab <cs@punjab.gov.in>, csraj@rajasthan.gov.in, Vijay Bhushan Pathak <cs-skm@hub.nic.in>, cs@tn.gov.in, CS Telangana <cs@telangana.gov.in>, cs-tripura <cs-tripura@nic.in>, CHIEF SECRETARY OFFCE GOVT OF UP <csup@nic.in>, chief secretary <cs-uttaranchal@nic.in>, Dr. Manoj Pant <cs-westbengal@nic.in>, cso-meg <cso-meg@nic.in>, Chief Secretary Andamans <cs-andaman@nic.in>, Rajeev Verma <adviser-chd@nic.in>, Administrator DNH DD <administrator-dd-dnh@nic.in>, Shri Dharmendra <csdelhi@nic.in>, Praful Patel <lk-admin@nic.in>, Dr Sharat Chauhan, I.A.S , Chief Secretary to Government, Government of Puducherry <cs.pon@nic.in>, cs-jandk <cs-jandk@nic.in>, Advisor to LG <advisor-lg-ladakh@gov.in>

Cc : JS Akademi <js-akademi-culture@gov.in>, Rajeev Kumar <rajeev.kr37@gov.in>, Umang Narula <secympa@nic.in>, Secretary Youth Affairs <secy-ya@nic.in>, AMIT YADAV <secywel@nic.in>, D . Rajiv Mani <secylaw-dla@nic.in>

Kind attention : PS to Chief Secretary

Sir/Madam,

Please find attached a copy of the letter in connection with celebration / commemoration of 75 years of adoption of the Constitution of India, for necessary action.

Regards,
O/o Secretary (Culture)
Tele : 011-23386995, 23381040

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Samvidhan Diwas D O.pdf
982 KB

"हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान"

संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024)

संख्या- 03मा०स /90-सं-2-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

2-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संसदीय कार्य अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक 22 नवम्बर, 2024

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 को स्वतंत्रता के अमृत काल के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या- 460/90-सं-2-2024 दिनांक 20-11-2024 को एतदद्वारा अवक्रमित करते हुए संविधान दिवस समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में भारत सरकार के अर्द्धशा०पत्र संख्या-21035/3/2020-Spl.cell दिनांक 20-11-2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के संदर्भगत पत्र द्वारा संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2024 के अवसर पर वर्ष-पर्यन्त विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो निम्नवत है:-

2- दिनांक 26 नवम्बर,1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया जो दिनांक 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया जिसे भारतीय इतिहास में एक नये युग के प्रारम्भ के रूप में देखा जाता है। संविधान को अपनाये जाने के 75 वर्ष पूर्ण होने के महत्व को दर्शाते हुए इस समारोह को मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह स्मरणोत्सव 26 नवम्बर, 2024 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जायेगा। यह उत्सव "हमारा संविधान,हमारा स्वाभिमान" की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में वर्ष-पर्यन्त मनाया जायेगा।

2(1)- संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ हमारे संविधान के संस्थापकों के योगदान को सम्मानित किए जाने का उपयुक्त अवसर है। साथ ही इसका उद्देश्य संविधान के निहित मूल्यों को दोहराना तथा प्रजातंत्र को सुदृढ़ किए जाने की दिशा में नागरिकों को उचित

भूमिका निभाए जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। उक्त स्मरणोत्सव समारोह वर्ष-पर्यन्त मनाया जायेगा और इससे सम्बन्धित गतिविधियाँ निम्न चार स्तम्भों पर केन्द्रित होंगी :-

क- संविधान की प्रस्तावना ।

ख- संविधान को जानना।

ग- संविधान का निर्माण

घ- संविधान की महिमा का जश्न मनाना ।

2(2)- उपरोक्त विषयों पर केन्द्रित की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा निम्नवत है:-

(क) वर्ष भर की गतिविधियों में ऑनलाइन भागीदारी की सुविधा के लिए निम्नलिखित अंत:सम्बन्धित वेबसाईट बनाई गई हैं :-

(i) constitution75.com : इस वेबसाइट पर सामूहिक रूप से प्रस्तावना का पाठन, संविधान पर निर्मित फिल्म का प्रसारण, संविधान की कला पर प्रदर्शनी एवं अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं।

(ii) https://mybharat.gov.in/mega_events/constitution-day-samvidhaan-diwas -hamara-samvidhaan-hamara-abhimaan: इस वेबसाइट पर युवा शक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से संविधान से सम्बन्धित मौलिक कर्तव्यों एवं अन्य गतिविधियों में की गई भागीदारी से सम्बन्धित फोटो एवं वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं।

(iii) https://www.mygov.in: इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों,स्कूली बच्चों,कालेज के छात्रों एवं युवाशक्ति को डिजिटल पहुँच के माध्यम से संविधान से सम्बन्धित निबन्ध, क्विज एवं पोस्टर प्रतियोगिता इत्यादि में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना ।

(ख)- दिनांक 26 नवम्बर, 2024 से सम्बन्धित कार्यक्रम में भागीदारी

(i) मुख्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय मंत्रिगण/माननीय विधायकगण व अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रस्तावना का वाचन।

(ii) कार्यक्रम का आयोजन बड़ी संख्या में उपस्थित व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक स्थान पर किया जाना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों एवं अमृत सरोवर स्थलों पर सामूहिक रूप से प्रस्तावना का पाठन किया जाना एवं उससे सम्बन्धित फोटो को constitution75.com पर अपलोड किया जाना। उक्त वेबसाईट से प्रस्तावना के पाठन से सम्बन्धित प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकता है, जिसे नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया जा सकता है।

(iv) संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान पर तैयार की गई फिल्म का प्रसारण किया जाना मुख्य कार्यक्रम(minute to minute) का भाग होगा ।

(v) minute to minute के मुख्य कार्यक्रम में संविधान के निर्माण में प्रदेश के जिन व्यक्तियों का योगदान रहा है,पर विशेष प्रकाश डाला जाय।

(vi) constitution75.com वेबसाइट पर संविधान की कला का प्रदर्शन किया जाना ।

(ग) 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 1 -04-2025 से 28-04-2025 तक)

(i) प्रदेश की सभी पंचायतों में "संविधान स्वाभिमान यात्रा" का आयोजन MyBharat volunteers द्वारा बाबा साहब डा0 बी0आर0 आम्बेडकर के संविधान का उल्लेख करते

हुए सम्बन्धित पंचायत द्वारा इसका आयोजन किया जायेगा। उक्त यात्रा का आयोजन प्रत्येक पंचायत में गांव के एससी/एसटी बाहुल्य क्षेत्रों एवं पंचायत के मुख्य ग्राम में किया जायेगा।

(ii) "संविधान स्वाभिमान यात्रा" के दौरान जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा उपलब्ध हो, वहाँ उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की जाय।

(घ) निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार वर्ष-पर्यन्त कार्यक्रम का आयोजन :

(i) सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय।

(ii) सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में संविधान के अनुच्छेद 51क के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पाठन एवं उसकी व्याख्या की जाय। जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय।

(iii) संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह का आयोजन किया जाय।

(iv) स्थानीय स्कूलों/कॉलेजों में संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य/राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय।

(v) स्कूलों/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुददे जिसमें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद /सेमिनार का आयोजन किया जाय।

(vi) https://www.mygov.in पर स्कूली बच्चों को MyGov competitions के माध्यम से प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

(vii) सभी पंचायतों/ स्कूलों में स्थानीय भाषा में संविधान की प्रस्तावना की वॉल पेंटिग की जाय।

(viii) संविधान सभा की डिबेट्स के अनुवाद पर विशेष मीडिया कवरेज की जाय तथा अनुवादित सामग्री की उपलब्धतता राज्य के पुस्तकालयों में संरक्षित किया जाय।

(ड)- अभियान की वेबसाईट पर डाउनलोड सेक्शन के अन्तर्गत स्वीकृत अभियान का "लोगो" उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग कार्यक्रमों / गतिविधियों की ब्रांडिग में किया जा सकता है। उक्त अभियान हेतु तैयार वेबसाईट पर समस्त ब्रांडिग सामग्री उपलब्ध रहेगी । कालान्तर में आम जनमानस को इस अभियान में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इस वेबसाईट पर उनके द्वारा सेल्फी अपलोड की जा सकेगी ।

3- भारत सरकार के संदर्भगत पत्र दिनांक 20-11-2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उक्त कार्यक्रम सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 26-11-2024 को प्रात: 9:30 बजे से प्रारम्भ होंगे तथा मुख्य कार्यक्रम लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जायेगी। उक्त कार्यक्रम में समस्त अपर [ुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिभाग करते हुए अपने विभाग में कार्यरत अनु सचिव एवं उससे उच्चतर अधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाय। लोक भवन सभागार, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था (मंच की साज-सज्जा, मंच संचालन, जलपान एवं सचिवालय के समस्त

भवनों में प्रकाश की व्यवस्था) सचिवालय प्रशासन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । शासन स्तर पर आयोजित किए जा रहे संविधान दिवस के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी कार्यालयों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित किया जाय। कार्यक्रम में संविधान से सम्बन्धित वृत्तचित्र का प्रसारण भी किया जाय।

4- प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त अवसर पर प्रात: 9:30 बजे जनपद के प्रभारी माननीय मंत्री/माननीय वरिष्ठ सांसद/जनपद के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में तथा प्रदेश के समस्त नगर निकायों/ जिला पंचायतों/ क्षेत्र पंचायतों/ ग्राम पंचायतों में क्रमश: महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में उनके कार्यालयों/सभाकक्षों में एवं प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालय के अधिवक्ता सभागारों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अधिवक्ताओं के साथ (न्याय विभाग के माध्यम से) बाबा साहब डा० भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा/ छायाचित्र के समक्ष संविधान की प्रति के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाय। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाय।

5- इस अवसर पर संविधान की विशिष्टताओं एवं उनमें वर्णित मौलिक कर्तव्यों पर प्रदेश के सरकारी/निजी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पूर्वान्ह की अवधि में प्रधानाचार्य अथवा वरिष्ठ शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष उदबोधन देकर प्रस्तावना का वाचन किया जाय तथा अपरान्ह की अवधि में भारत के संविधान एवं उसमें उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों पर प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए वाद-विवाद एवं पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। *इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 03 छात्र/छात्राओं को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाय।* प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/ कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) की समस्त कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा समस्त छात्र/ छात्राओं सहित पूर्वान्ह की अवधि में संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अपरान्ह की अवधि में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।

6- संविधान के अमृतकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त विशिष्ट तिथियों यथा- 26 नवम्बर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को संविधान के मूल्यों /आदर्शो/ मौलिक कर्तव्यों की महत्ता को दर्शाये जाने वाले कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाय। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-01-2025 से दिनांक 26-02-2025 तक जनपद प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अवधि में महाकुम्भ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर "संविधान गैलरी" का निर्माण किया जाय, जिसमें संविधान सभा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्तियों/ महापुरूषों के चित्र एवं उनके विशिष्ट उदबोधन को वृत्तचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाय। इस हेतु प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, प्रमुख सचिव, विधायी एवं प्रमुख सचिव, न्याय से भी वांछित सहयोग प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

7- संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाय। प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स/वीडियो क्लिप की प्रति जिलाधिकारियों द्वारा भारत सरकार की संदर्भित वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2024) के अवसर पर भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 20-11-2024 में उल्लिखित दिशा- निर्देशों एवं उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अपने अधीनस्थों को भी उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

22.11.24

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

संख्या- (1)/90-सं-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, संसदीय कार्य/युवा मामले/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ विधि मामले/ संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 20-11-2024 के संदर्भ में ।

2- पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3-प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० शासन।

4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।

6- निजी सचिव, मा० संसदीय कार्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, विधान सभा।

8- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, विधान परिषद ।

9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।

10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे०पी० सिंह-।।)

प्रमुख सचिव।